

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 03 अप्रैल, 2018

विषय :- लम्बित विभागीय कार्यवाहियों का समयबद्ध निस्तारण ।

महोदय,

शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि जनपद एवं मण्डल स्तर पर तैनात Cutting edge कार्मिकों के विरुद्ध लम्बे समय से लम्बित विभागीय कार्यवाहियों, जिसमें जांच पूर्ण हो चुकी है या होने वाली है, को एक सघन अभियान चलाकर पूर्ण किया जाय, ताकि लम्बे अन्तराल तक विभागीय कार्यवाही के निस्तारण न होने के कारण अच्छे कार्मिकों के मनोबल पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोका जा सके तथा साथ ही शासकीय कार्यों में उदासीनता बरतने वाले कार्मिकों पर अनुशासनिक कार्यवाही के माध्यम से गुण-दोष के आधार पर युक्तियुक्त निर्णय लिया जा सके। यह भी निर्णय लिया गया है कि गम्भीर प्रकरणों में विभागों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा बृहद दण्ड प्रदान करने पर नियमानुसार विचार किया जाय। लम्बित विभागीय कार्यवाहियों का समयबद्ध निस्तारण किये जाने हेतु कार्मिक विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया है।

2- अतः उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर एवं विभागाध्यक्ष स्तर पर लम्बित विभागीय कार्यवाहियों में, जिनमें जांच की कार्यवाही अन्तिम चरण में है, ऐसे प्रकरणों पर अभियान चलाकर एक माह में प्रभावी निस्तारण कर कृत कार्यवाही की पूरे विभाग की एक ही प्रारूप पर समेकित सूचना/विवरण संलग्न प्रारूप पर अंकित कर कार्मिक अनुभाग-1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोक्त ।

भवदीय,
दीपक त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव ।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-5/2018(1)/का-1-2018-13(4)/2013, तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष ।
3. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद ।
4. निदेशक, पेंशन निदेशालय, 30प्र0 ।
5. निदेशक, कोषागार, 30प्र0 ।

आज्ञा से,
अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव ।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रारूप

(संख्या-5/2018/का-1-2018-13(4)/2013, दिनांक 03 अप्रैल, 2018 का संलग्नक)

विभाग का नाम-

| क्र०सं० | कार्मिकों का समूह | 28 फरवरी, 2018 तक लम्बित विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही की स्थिति | | |
|---------|-------------------|--|--------------------------------------|---|
| | | कुल लम्बित विभागीय कार्यवाहियों की संख्या | इनमें निलम्बित कर्मचारियों की संख्या | लम्बित विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाहियों के निस्तारण की संख्या |
| 1. | क | | | |
| 2. | ख | | | |
| 3. | ग | | | |
| 4. | घ | | | |

नोट :-

1. विभागीय कार्यवाही, जिनमें सम्बन्धित कर्मों अब भी निलम्बित चल रहा हो, ऐसे 10 पुराने प्रकरणों का प्रत्येक विभाग संक्षेप में नैरेटिव फॉर्म में विवरण उपलब्ध करायेंगे।
2. समूह 'ग' व समूह 'घ' श्रेणी के कार्मिकों के सम्बंध में सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी भी अपने स्तर पर मासिक समीक्षा व अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे।
3. समूह 'क' एवं समूह 'ख' के कार्मिकों के सम्बंध में सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव अपने स्तर पर मासिक समीक्षा करेंगे तथा समूह 'ग' तथा 'घ' श्रेणी के कार्मिकों के सम्बंध में नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा जो समीक्षा की जा रही है उनका भी अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।